न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–57/2018
वाद प्रविष्टि दिनांक–07.06.2018
निर्णय दिनांक–27.11.2025

श्रवणी धर्मपत्नि स्व. कैलाश जाति जाट निवासी बगडवा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये अधिशाषी अभियन्ता खण्ड टोंक (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, जिला टोंक
3. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीया–श्री शिवजीराम चौधरी एड0
प्रतिवादी संख्या 01–स्वयं उपस्थित
प्रतिवादी संख्या 02, 03–पेरोकार सरकार

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अनुसार वादिया विधवा महिला है, जो ग्राम बगडवा, पटवार हल्क बगडवा तह0 पीपलू की निवासी है। जिसकी आजीविका का मात्र साधन कृषि आराजीयात है। भूमि आराजी ख0न0 309/3 रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम बगडवा, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। लेकिन उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि में अवैधानिक रूप से प्रवेश करते हुए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गौरव पथ (सडक) का निर्माण करने पर आमादा है। इस हेतु उन्होने मौके पर निर्माण सामग्री भी डाल दी है, जबकि वादीया की उक्त वर्णित आराजीयात के दक्षिण ओर पूर्व–पश्चिम आने जाने का रिकॉर्डेड गै.मु. रास्ता मौजूद है, बावजूद इसके प्रतिवादीगण वादिया को नुकसान पहूंचाने की नियत से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

वादीया की भूमि में से जबरन नवीन गौरवपथ/सडक बनाने पर आमादा है। इस कारण सदा सर्वदा के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, अन्यथा वादिया को अपार अपरिमित व अपूरणीय क्षति होगी। उसकी भूमि काश्त योग्य नही रहेगी। उसका व उसके परिवार का जीविकोपार्जन समाप्त हो जावेगा। प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारी वादीया की उक्त खातेदारी की भूमि पर रास्ता बनाने हेतु निर्माण सामग्री मौके पर लेकर जाने पर वादिया द्वारा मना करने के बावजूद उन्होने वादिया के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत कर रास्ता बनाने की ऐलानिया धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण लोक सेवक है ओर लोक सेवक को उक्त वाद पेश करने से पूर्व नियमानुसार धारा 80 सी.पी.सी. के तहत् नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वादिया का वाद अत्यावश्यक प्रकृति का है। इस कारण वादिया, प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की वादिया के पक्ष में पारित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं जरिये एजेन्ट, अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के माध्यम से वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 309/3 रकबा 01—00 बीघा वाके ग्राम बगडवा, पटवार हल्का बगडवा में वादिया के कब्जे, काश्त में मजामहत व मदाखलत बेजा नही करे। जबरन वादिया को बेदखल कर गौरवपथ (सडक) का निर्माण कार्य नही करे, ना ही करावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार के विधिक प्रतिनिधि एवं लोक सेवक है, जिनको उक्त उनवानी वादपत्र पेश करने से पूर्व नियमानुसार 80 सी.पी.सी. के तहत् मियादी 60 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारियो मौके पर वादिया—प्रार्थिया की भूमि पर नवीन गौरवपथ का निर्माण करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थिया की भूमि की भूमि के दक्षिण की तरफ पूर्व से ही पूर्व—पश्चिम गै.मु. रास्ता मौजूद है। इस कारण वादिया उक्त उक्त वाद प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये पेश कर रही है। यदि प्रतिवादीगण को वादिया द्वारा नोटिस दिया गया तो प्रतिवादीगण मौके पर सडक का निर्माण कर लेगे। जिससे प्रार्थिया/वादीया को अपार अपरिमित व अपूरणीय क्षति कारित होगी। इस कारण वादिया को उक्त वाद बिना प्रतिवादीगण को नोटिस दिये पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया—वादीया को बिना प्रतिवादीगण को नोटिस दिये उक्त वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बगडवा में ख0न0 309/3 रकबा 01—00 बीघा पर ग्रामीण गौरव पथ बनाने बाबत् वादपत्र प्रस्तुत हुआ है। उक्त विवादित ख0न0 पर किसी प्रकार के गौरवपथ का

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निर्माण नही किया जा रहा है। बगडवा गांव की आबादी से स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर विवादित खसरा नम्बर के लगवा पूर्व में ही पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक बना रखी है।

प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जवाब में कथन किया कि ख0न0 309/3 रकबा 01-00 बीघा वाके ग्राम बगडवा में स्थित है, जो श्रवणी पत्नि कैलाश जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम बगडवा में ग्राम पंचायत द्वारा गौरव पथ का निर्माण किया गया है। मुताबिक मौके अनुसार उक्त गौरव पथ का निर्माण कार्य उक्त ख0न0 309/3 में नही हो रखा है, जबकि प्रार्थी के ख0न0 309/3 की दक्षिणी मेड से लगता हुआ गै.मु. रास्ता है, जो मौके पर बंद है। मौके पर वर्तमान में उक्त ख0न0 में से दक्षिणी तरफ से रास्ता बना हुआ है, जो मौके पर चालू है। जहां पर गौरव पथ का निर्माण नही हो रखा है, जो खातेदारी भूमि में से गुजर रहा है। उक्त ख0न0 की पूर्वी मेड से चरागाह भूमि में विद्यमान भवन तक गौरव पथ बना हुआ है। उक्त ख0न0 में मौके पर रास्ता चालू है। जिसमें गौरव पथ का निर्माण नही हो रखा है।

वादपत्र, जवाब तथा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये। जो इस प्रकार है:-

1. आया वादीया विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार होने की वजह से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है।

   वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का गौरवपथ का निर्माण नही किया जा रहा है। इस खसरा नम्बर के पास से पूर्व में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक का निर्माण कर रखा है। इस कारण वादीया प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है।

   प्रतिवादीगण

तनकी कायम कर वादी की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण के लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी की साक्ष्य व वादीगण के गवाहन से जिरह का अवसर बंद किया गया। शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 वादीया श्रवणी धर्मपत्नि कैलाश जाति जाट निवासी ग्राम बगडवा, पटवार हल्का बगडवां, तह0 पीपलू ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि 309/3 रकबा 01-00 बीघा वाके ग्राम बगडवा में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। लेकिन उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि में अवैधानिक रूप से प्रवेश करते हुए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गौरव पथ (सडक) का निर्माण करने पर आमादा है। इस हेतु उन्होने मौके पर निर्माण सामग्री भी डाल दी है, जबकि वादीया की उक्त वर्णित आराजीयात के दक्षिण ओर पूर्व-पश्चिम आने जाने का रिकॉर्डेड गै.मु. रास्ता मौजूद है, बावजूद इसके प्रतिवादीगण वादिया को नुकसान पहूंचाने की नियत से वादीया की भूमि में से जबरन नवीन गौरवपथ/सडक बनाने पर आमादा है। प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारी वादीया की

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त खातेदारी की भूमि पर रास्ता बनाने हेतु निर्माण सामग्री मौके पर लेकर जाने पर वादिया द्वारा मना करने के बावजूद उन्होने वादिया के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत कर रास्ता बनाने की ऐलानिया धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर जारी है। अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की वादिया के पक्ष में पारित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं जरिये एजेन्ट, अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के माध्यम से वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 309/3 रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम बगडवा, पटवार हल्का बगडवा में वादिया के कब्जे, काश्त में मजामहत व मदाखलत बेजा नही करे। जबरन वादिया को बेदखल कर गौरवपथ (सडक) का निर्माण कार्य नही करे, ना ही करावे।

शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 रामकल्याण पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम बगडवा, पटवार हल्का बगडवा ने अपने शपथ पत्र में कथन किया कि वादीया श्रवणी मेरे गांव की निवासी है तथा वह काश्त कार्य करके अपना जीवन यापन करती चली आ रही है। वादीया की खातेदार व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 309/1 रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम बगडवा तह0 पीपलू में स्थित है। इस भूमि के पास ही मेरी खातेदारी की भूमि है। वादीया की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है, किन्तु प्रतिवादीगण उसके बावजूद भी वादीया की उक्त खातेदारी भूमि में होकर जबरदस्ती से गौरवपथ (सडक) बनाना चाहते है। जिसके लिए प्रतिवादीगण ने मौके पर सडक निर्माण हेतु सामग्री भी डाल रखी है। जबकि वादीया की उक्त भूमि के दक्षिणी ओर पूर्व पश्चिम आने जाने का रिकॉर्डेड गै.मु. रास्ता मौजूद है, परन्तु प्रतिवादीगण वादीया को नुकसान की नियत से वादीया की भूमि में होकर जबरन नवीन गौरव पथ (सडक) बनाना चाहते है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वादीया की भूमि में उसके कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे तथा वादीया की भूमि में होकर गौरवपथ (सडक) का निर्माण नही करे।

अधिवक्ता वादीया ने बहस का कथन किया। बहस अधिवक्ता वादीया एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आंराजी ख0न0 309/3 रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम बगडवा में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है, लेकिन उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि में अवैधानिक रूप से प्रवेश करते हुए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गौरव पथ (सडक) का निर्माण करने पर आमादा है। इस हेतु उन्होने मौके पर निर्माण सामग्री भी डाल दी है, जबकि वादीया की उक्त वर्णित आराजीयात के दक्षिण ओर पूर्व–पश्चिम आने जाने का रिकॉर्डेड गै.मु. रास्तां मौजूद है, बावजूद इसके प्रतिवादीगण वादिया को नुकसान पहूंचाने की नियत से वादीया की भूमि में से जबरन नवीन गौरवपथ/सडक बनाने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से सडक का निर्माण करते है, तो वादिया को अपार अपरिमित व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारी वादीया की उक्त खातेदारी की भूमि पर रास्ता बनाने हेतु निर्माण सामग्री मौके डालकर, वादिया के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत कर रास्ता बनाने की ऐलानिया धमकी दे रहे है, जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण लोक सेवक है और लोक सेवक को उक्त वाद पेश करने से पूर्व नियमानुसार धारा 80 सी.पी.सी. के तहत् नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वादिया का वाद अत्यावश्यक प्रकृति का है। इस कारण वादिया, प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की वादिया के पक्ष में पारित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं जरिये एजेन्ट, अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के माध्यम से वादिया की उक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 309/3 रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम बगडवा, पटवार हल्का बगडवा में वादिया के कब्जे, काश्त में मजामहत व मदाखलत बेजा नही करे। जबरन वादिया को बेदखल कर गौरवपथ (सडक) का निर्माण कार्य नही करे, ना ही करावे।

उक्त वाद में अधिवक्ता वादीगण की बहस, वादीगण की साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निम्न प्रकार विवाद्यक बिन्दु निर्णित की गई। जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीया विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार होने की वजह से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है।

वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीया का है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खाता संख्या 178 संवत् 2071–74 वाके ग्राम बगडवा, प्रदर्श–1 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित भूमि ग्राम बगडवा वादीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है वादीया उक्त आराजीयात की खातेदार काबिज काश्तकार है। साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 वादीया श्रवणी पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी बगडवा व साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 02 रामकल्याण पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम बगडवा के बयानों से भी वादीया का विवादित भूमि पर कब्जा जाहिर होता है। अतः इस प्रकार वादीया विवादित भूमि के खातेदार होने के कारण प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त में मजामहत नहीं किये जाने व वैकल्पिक रास्ता रिकॉर्ड व मौके पर उपलब्ध होने के कारण हेतु पाबन्द करवाने के हकदार है। इस प्रकार यह तनकी संख्या 01 वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का गौरवपथ का निर्माण नही किया जा रहा है। इस खसरा नम्बर के पास से पूर्व में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक का निर्माण कर रखा है। इस कारण वादीया प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है।

वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार के गौरवपथ का निर्माण नही किया जा रहा है। बगड़वा गांव की आबादी से स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर विवादित खसरा नम्बर के लगभग पूर्व में ही पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक बना रखी है। उक्त गौरव पथ का निर्माण कार्य उक्त ख0न0 309/3 में नही हो रखा है, जबकि प्रार्थी के ख0न0 309/3 की दक्षिणी मेड से लगता हुआ गै.मु. रास्ता है, जो मौके पर बंद है। मौके पर वर्तमान में उक्त ख0न0 में से दक्षिणी तरफ से रास्ता बना हुआ है, जो मौके पर चालू है। जहां पर गौरव पथ का निर्माण नही हो रखा है, जो खातेदारी भूमि में से गुजर रहा है। उक्त ख0न0 की पूर्वी मेड से चरागाह भूमि में विद्यमान भवन तक गौरव पथ बना हुआ है। उक्त ख0न0 में मौके पर रास्ता चालू है। जिसमें गौरवा पथ का निर्माण नही हो रखा है।

दोराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीग संख्या 01 अनुपस्थित रहे एवं वादीया के गवाह से किसी प्रकार की जिरह नही किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य/बहस नही किये जाने तथा भूमि आराजी ख0न0 309/1 वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आधार पर विवाद्यक बिन्दू संख्या 02 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अधिवक्ता वादीया की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन अनुसार भूमि आराजी ख0न0 309/1 रकबा 01—00 बीघा वाके ग्राम बगडवा की वादीया रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है, किन्तु प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पर वादीगण की आराजी में प्रवेश कर गौरव पथ (सडक) निर्माण कर वादीया को आराजी से बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भू—राजस्व अधिनियम की धारा 140 के अनुसार जब तक विपरित रूप से अन्यथा साबित न हो जाये, तब तक राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को सही माना जाना चाहिए। वादीया उक्त वर्णित आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। अतः वाद वादीया स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0न0 309/1 रकबा 01—00 बीघा वाके ग्राम बगडवा में वादीया के हिस्से तक उपयोग उपभोग में मजामहत व मदाखल नही करे। पाबंद रहे। डिक्री जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)
ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

श्रवणी धर्मपत्नि स्व. कैलाश जाति जाट निवासी ग्राम बगडवा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
वादीया

बनाम

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये अधिशाषी अभियन्ता खण्ड, टोंक (राज0)
(कुल कस 03) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 57/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री शिवजीराम चौधरी एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण संख्या 01 स्वयं व प्रतिवादी संख्या 02, 03 पैराकार सरकार उपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0न0 309/1 रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम बगडवा में वादीया के हिस्से तक उपयोग उपभोग में मजामहत व मदाखल नही करे। पाबंद रहे।

निजी..............................मबलिक.. बाबत:...........................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.......................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.11.2025 को जारी की गई।

दस्तखत......................................
उप खण्ड अधिकारी

मोहर

ओहदा पीपलू (टोंक)...........................

Scanned with OKEN Scanner

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner